

यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVNL Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय प्रबंध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, "उज्ज्वल" महारानीबाग, जी०एम०एस०रोड, देहरादून-248006 (उत्तराखण्ड), दूरभाष-0135-2763808, फैक्स सं० 0315-276350
Office of Managing Director, UJVNL Limited, "Ujjwal", Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun-248006 (Uttarakhand)
Phone-01352763808, Fax-0135-2763508 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

पत्रांक 763 / यूजेवीएन लि०/प्र०नि०/1W-1

दिनांक 07/02/2025

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1199 दिनांक 25.09.2017 के द्वारा शासन की वेतन मैट्रिक्स में दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतनमान एवं 10,20,30 वर्ष की सेवा पर एम०ए०सी०पी० (MACP) की स्वीकृति प्राप्त होने पर सातवें वेतनमान में कार्मिकों के वेतन निर्धारण किये गये। कर्मचारी संगठनों/यूनियन की मांग पर शासनादेश संख्या 12/1 (2)/2021-06(2)-02/2015 टीसी-1 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा दिनांक 01.01.2016 से वेतनमान की स्वीकृति एवं दिनांक 31.12.2016 से वर्तमान समय में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा में प्रतिकूल परिवर्तन न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था को सीधी भर्ती (Induction Post) की नियुक्ति तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत् अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त शासनादेश के अनुक्रम में यूजेवीएन लिमिटेड की वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप मूल वेतन कम होने पर 130 कार्मिकों द्वारा मा० लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में याचिका संख्या 37 (SB)/2022 दायर की गयी है।

उक्त याचिका में मा० लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 27.09.2023 को दिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 8.5, 8.6 एवं 8.7 के अनुसार प्रकरण को निस्तारित करने हेतु निम्न प्रकार आदेशित किया गया है।

8.5 The Tribunal takes note of the fact that the ACP scheme has not continued for the Govt. employees in the 7th Pay Commission and has been replaced by the MACP scheme. Para 21 and 22 of the CA filed by respondent no. 1 are reproduced as below:

"21. That meeting of the aforesaid committee took place on 05.01.2022. In the minutes of the said meeting, it is clearly stated that although Secretary Personnel department, Government of Uttarakhand and Secretary Finance Department, Government of Uttarakhand are not in agreement with continuing the earlier system of financial upgradation, but however in view of the decision take by the Hon'ble Cabinet the entire status should be placed before Hon'ble Chief Minister for taking decision. It has also been notesd in the aforesaid minutes that the report of the Committee on Pay Anomalies (Vetan Visangati Samiti) has also been received by the Government. It would be relevant of state here that it is clearly stated in the recommendations of the Committee of 9, 14 and 19 years of service can be implemented in respect of employees of aforesaid Power Corporation only if the Pay Structure/Pay Matrix prevalent in Power Corporations is implemented/adhered to. It is specifically stated in the recommendations of the Committee on Pay Anomalies that it would not be proper to mix the system prevalent in the State Government and the one prevalent in aforesaid Power Corporations. In sum and substance this is Doctrine of Election as explained earlier. The true copy of minutes of meeting dated 05.01.2022 and report and recommendations of the committee on Pay Anomalies is annexed as Annexure on R-5.

22. That pursuant to aforesaid recommendation the decision was taken by the State Government implement the earlier prevalent pay scales (before 01st January 2017) in the aforesaid three Power Corporations, vide order dated 06.01.2022."

8.6 It is clear from the above that the pay scales as given by G.O. dated 22.12.2017 can not be continued with the ACP scheme. The Tribunal holds that the G.O. dated 06.01.2022 (Annexure: A1) and the UJVNL office memorandum dated 15.03.2022 have been issued in right earnest in the overall and long-term interest of the UJVNL employees. The Tribunal also agrees to the contention of the learned Counsel for the petitioners that salary of a person cannot be reduced without his individual personal consent and the consent of the employees' union cannot replace the requirement of the consent of the individual employee before reduction of his salary.

8.7 In view of the above, it shall be in the fitness of the things that every petitioner be asked by the respondents to either opt for pay fixation with MACP according to the G.O.s dated 25.09.2017 and 22.12.2017 or opt for ACP and pay fixation according to GO dated 06.01.2022 and UJVNL office memorandum dated 15.03.2022. The Tribunal hereby directs that such option may be sought from every petitioner within a period of three months of this order and action for fixation of pay and applicability of ACP or MACP to him/her be taken accordingly.

मा० लोक सेवा अधिकरण द्वारा बिन्दु संख्या 8.5, 8.6 एवं 8.7 के अनुसार याचीगणों को शासनादेश संख्या 1199 दिनांक 25.09.2017 एवं शासनादेश संख्या 1585 दिनांक 22.12.2017 के अनुक्रम में MACP के अन्तर्गत वेतन निर्धारण अथवा शासनादेश संख्या 12 दिनांक 06.01.2022 के अनुक्रम में यूजेवीएन लिमिटेड के आदेश संख्या 604 दिनांक 15.03.2022 के अनुसार ACP के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का विकल्प मांग कर वेतन निर्धारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त याचिका में सचिव ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन प्रथम प्रतिवादी होने के कारण पत्र संख्या 5860/यूजेवीएनलि०/प्र०नि०/डब्लू-1 दिनांक 25.10.2023 के द्वारा बिन्दु संख्या 8.5, 8.6 एवं 8.7 के अनुसार, सचिव ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन को उक्त प्रकरण में यथोचित आदेश/दिशा निर्देश हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1170/। (2)/2023-11-31 (रिट)/2023 दिनांक 19.12.2023 के द्वारा याचीगणों से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। शासन के उक्त पत्र के सन्दर्भ में याचिका संख्या 37 (SB)/2022 के याचीगणों से विकल्प पत्र मांगे गये। याचीगणों से प्राप्त विकल्प पत्र का विवरण निम्नवत् है :-

याचिका संख्या 37 (SB)/2022 दायर करने वाले 130 कार्मिकों का विवरण

कुल याचीगण	विकल्प देने वाले कार्मिक	GOU की वेतन मैट्रिक्स के साथ MACP का विकल्प देने वाले कार्मिक	UJVNL की लागू वेतन मैट्रिक्स एवं ACP का विकल्प देने वाले कार्मिक	कोई विकल्प न देने वाले कार्मिक
130	116	39	77	14

130 याचीगणों में से 116 याचीगणों के विकल्प पत्र प्राप्त हुये जिनमें से 39 याचीगणों ने शासनादेश संख्या 1199 दिनांक 25.09.2017 एवं शासनादेश संख्या 1585 दिनांक 22.12.2017 के अनुसार पूर्व में लागू शासन की वेतन मैट्रिक्स के साथ MACP चुनने का विकल्प दिया है, 77 याचीगणों ने UJVNL की लागू वेतन मैट्रिक्स एवं ACP का विकल्प एवं 14 याचीगणों ने कोई विकल्प नहीं दिया है। पूर्व में लागू शासन की वेतन मैट्रिक्स एवं MACP का विकल्प चुनने वाले 39 याचीगणों का विवरण निम्नवत् है :-

GOU की वेतन मैट्रिक्स एवं MACP का विकल्प देने वाले 39 कार्मिकों का विवरण

कुल कार्मिक	शासनादेश दिनांक 06.01.2022 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं 03 ACP का लाभ प्राप्त कर चुके कार्मिक	शासनादेश दिनांक 06.01.2022 के पश्चात सेवानिवृत्त एवं 03 ACP का लाभ प्राप्त कर चुके कार्मिक	सेवारत एवं 03 ACP का लाभ प्राप्त कर चुके कार्मिक	सेवारत तथा 02 ACP का लाभ प्राप्त कर चुके कार्मिक	सेवारत तथा 01 ACP का लाभ प्राप्त कर चुके कार्मिक	सेवारत किन्तु कोई भी ACP अभी देय न हो
39	0	09	10	0	01	19

पत्र संख्या 1505/यूजेवीएनलि0/प्र0नि0/कोर्टकेस/डब्लू-1 दिनांक 27.03.2024 के द्वारा याचीगणों से प्राप्त विकल्प पत्र वित्तीय भार सहित संयुक्त सचिव ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये गये थे। संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 538/। (2)/2024-11-31 (रिट)/2022 दिनांक 27.08.2024 के द्वारा याचिका संख्या 37 (SB)/2022 एवं याचिका संख्या 15 (SB)/2024 में मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून के पारित निर्णय के अनुक्रम में निगम स्तर से यथोचित विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार याचिका संख्या 37 (SB)/2022 में दिये गये आदेश दिनांक 27.09.2023 के सापेक्ष मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में Review Application दायर की गयी। उक्त सम्बन्ध में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 08.10.2024 को दिये गये निर्णय में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं।

4. Review applications for reviewing the order dated 27.09.2023 passed in Claim Petition No.37/SB/2022, Ashok Kumar Joshi & others and dated 01.03.2024 passed in Claim Petition No. 15/SB/2024 Dharendra Singh Rawat & others have also been dismissed today, inasmuch as there is no error apparent on the face of record or any clerical/arithmetic mistake or for any other sufficient reason.
5. Keeping in view the facts noted above, the Tribunal reiterates its order passed in Claim Petition No. 15/SB/2024 Dharendra Singh Rawat & Others vs. State of Uttarakhand & others on 01.03.2024, with a direction to the Respondent Corporation to implement the same as expeditiously as possible and without unreasonable delay.
6. The execution application thus stands disposed of, at the admission stage, with the directions as above.

उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न तथ्यों एवं बिन्दुओं पर विचार किया जाना है :-

मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा याचिका संख्या 37 (SB)/2022 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2023 के अनुपालन में MACP के साथ शासन की वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन निर्धारण का विकल्प देने वाले 39 याचीगणों में सेवानिवृत्त 09 याचीगण एवं सेवानिवृत्त होने वाले 10 याचीगण पाचवें एवं छठे वेतनमान में ए0सी0पी0/समयबद्ध वेतनमान (09,14,19) का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। पाचवें एवं छठे वेतनमान में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद/यूजेवीएन लिमिटेड के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स) लागू होने के कारण शासन की वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण करने पर व्यवहारिक एवं तकनीकी कठनाईयां उत्पन्न होगी तथा याचीगणों का वेतन भी कम हो सकता है, जिसके कारण याचीगणों का MACP (10,20,30) के साथ शासन की वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है। 01 सेवारत याचीगण सातवें वेतनमान में 01 ACP का लाभ प्राप्त कर चुका है।

19 ऐसे याचीगण (लेखालिपिक-10, टीजी-।।-06, कार्यालय सहायक-।।-02 एवं आशुलिपिक-।।-01) जिन्हें कोई ACP का लाभ अनुमन्य नहीं हुआ है तथा जिन्होंने MACP के साथ शासन की वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन निर्धारण का विकल्प दिया है उन याचीगणों को ही MACP के साथ शासन की वेतन मैट्रिक्स

में वेतन निर्धारण किये जाने पर यूजेवीएन लिमिटेड की नियुक्ति/ पदोन्नति की सेवा शर्तें, स्टाफ स्ट्रक्चर व नियमावली शासन से भिन्न होने के कारण भविष्य में उनके पदोन्नति के समय विसंगति उत्पन्न होने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में शासन के विभिन्न विभागों के स्टाफ स्ट्रक्चर का भी परीक्षण किया गया है, उक्त आधार पर 19 याचीगणों के वेतन निर्धारण में विसंगतियां/कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. यूजेवीएन लिमिटेड में लेखालिपिक के पद का वेतनमान रू0 27200-86100 एल-04 (ग्रेड वेतन रू0 2600) है। सहायक लेखाकार के पद का वेतनमान रू0 29800-94300 एल-05 (ग्रेड वेतन रू0 3000) है, जबकि उत्तराखण्ड राजकीय विभाग के सहायक लेखाकार के पद का वेतनमान रू0 29200-92300 एल-05 (ग्रेड वेतन रू0 2800) है। यूजेवीएन लिमिटेड में पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा अवधि भी शासन से भिन्न है।
2. यूजेवीएन लिमिटेड में टी0जी0-2 के पद का वेतनमान रू0 27200-86100 एल-04 (ग्रेड वेतन रू0 2600) है। टी0जी0-2 के पद का अगला पदोन्नत पद एवं वेतनमान शासन की वेतन मैट्रिक्स में स्पष्ट नहीं है। यूजेवीएन लिमिटेड में पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा अवधि भी शासन से भिन्न है।
3. यूजेवीएन लिमिटेड में कार्यालय सहायक-तृतीय एवं पदोन्नत पद कार्यालय सहायक-द्वितीय का एक ही वेतनमान रू0 27200-86100 एल-04 (ग्रेड वेतन रू0 2600) है। राजकीय विभागों में इस प्रकार का कोई पद नहीं है। राजकीय विभागों में लिपिकीय संवर्ग के पद का वेतनमान रू0 25500-81100 एल-04 (ग्रेड वेतन रू0 2400) तथा अगला पदोन्नत वेतनमान रू0 29200-92300 एल-05 (ग्रेड वेतन रू0 2800) है। कार्यालय सहायक-तृतीय से कार्यालय सहायक-द्वितीय के पद पर पदोन्नत होने पर याचीगणों को कौन सा वेतनमान अनुमन्य किया जायेगा, स्पष्ट नहीं है। यूजेवीएन लिमिटेड में पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा अवधि भी शासन से भिन्न है।
4. यूजेवीएन लिमिटेड में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के पद का वेतनमान रू0 27200-86100 एल-04 (ग्रेड वेतन रू0 2600) तथा आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद का वेतनमान रू0 29800-94300 एल-05 (ग्रेड वेतन रू0 3000) है। जबकि राजकीय विभागों में आशुलिपिक का पद नाम वैयक्तिक सहायक वेतनमान रू0 29200-92300 एल-05 (ग्रेड वेतन रू0 2800) तथा वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक का वेतनमान रू0 35400-112400 एल-06 (ग्रेड वेतन रू0 4200) यूजेवीएन लिमिटेड में पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा अवधि भी शासन से भिन्न है।

अतः यह स्पष्ट इंगित होता है कि उक्त 19 याचीगणों को का MACP (10,20,30) के साथ वेतन निर्धारण किये जाने पर विसंगतियां/कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती है।

यूजेवीएन लिमिटेड के पत्र संख्या 41 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार यूजेवीएन लिमिटेड के वेतनमान एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण का प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया। उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1199 दिनांक 25.09.2017 के द्वारा शासन की वेतन मैट्रिक्स में सातवें वेतनमान एवं MACP (10,20,30) की स्वीकृति प्रदान की गयी।

कर्मचारी संगठनों की मांग पर दिनांक 31.12.2016 तक लागू ACP (09,14,19) की व्यवस्था को पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत् अनुमन्य कराये जाने हेतु यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मण्डल से

पारित प्रस्ताव पत्र संख्या 5412/यूजेवीएनलि/प्र0नि0 दिनांक 13.08.2019 के द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया। इसी प्रकार के प्रस्ताव दोनों अन्य ऊर्जा निगमों, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड (पिटकुल) से भी निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त शासन को प्रेषित किये गये, जिसका उल्लेख शासनादेश संख्या 12 दिनांक 06.01.2022 में किया गया है।

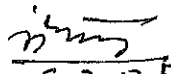
तीनों निगमों के निदेशक मण्डल से पारित प्रस्ताव के अनुसार उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 12 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा ऊर्जा निगमों में दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान एवं दिनांक 31.12.2016 तक लागू ACP (09,14,19) को पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स में दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अनुपालन में ऊर्जा निगमों के कार्मिकों के वेतन निर्धारण किये गये हैं।

मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 24.09.2023 में शासन के उक्त आदेश दिनांक 06.01.2022 को कार्मिकों के दीर्घकालीन लाभों के दृष्टिगत उचित ठहराते हुये निम्न टिप्पणी की गयी है :-

8.6 " It is clear from the above that the pay scales as given by G.O. dated 22.12.2017 can not be continued with the ACP scheme. The Tribunal holds that the G.O. dated 06.01.2022 (Annexure: A1) and the UJVNL office memorandum dated 15.03.2022 have been issued in right earnest in the overall and long-term interest of the UJVNL employees."

निष्कर्ष :-

उक्त तथ्यों के आधार पर मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 27.09.2023 एवं दिनांक 08.10.2024 को पारित निर्णय के अनुपालन में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि MACP (10,20,30) के साथ शासन की वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण का विकल्प देने वाले 39 याचीगणों में 19 याचीगण जो पांचवें एवं छठे वेतनमान में तीनों ACP का लाभ ले चुके हैं, 01 याचीगण सातवें वेतनमान में प्रथम ACP का लाभ प्राप्त कर चुका है तथा 19 ऐसे याचीगण जिन्हें कोई ACP का लाभ अनुमन्य नहीं हुआ है, का यूजेवीएन लिमिटेड की नियुक्ति/पदोन्नति की सेवा शर्तें, स्टाफ स्ट्रक्चर व नियमावली शासन से भिन्न होने के कारण MACP (10,20,30) के साथ शासन की वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून के आदेश दिनांक 27.09.2023 एवं दिनांक 08.10.2024 के अनुपालन में याचिका संख्या 37(S/B)/2022 के याचीगणों के प्रकरण का एतद्वारा निस्तारण किया जाता है।


6.2.25
(डा0 संदीप सिंघल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 अधिशासी निदेशक (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून।
- 2 उप महाप्रबन्धक (आई0टी0), यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून को निगम की वेब साईड पर अपलोड करने हेतु।
- 3 श्री अशोक कुमार जोशी सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक (वि0श्रे0), डी-432, शिव कालोनी, सेवलाकलां, देहरादून मो0नं0-7055109067. (129 अन्य याचीगण कृपया उपरोक्त आदेश की प्रति निगम वेब साईड से प्राप्त कर सकते हैं)।